पत्रांक/जी0एस0टी0/2022–23/ 225/2223030 राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 15 जुलाई, 2022

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कर विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य संविदाकारों के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहें विकास कार्यों का भुगतान करते समय टी0डी0एस0 की कटौती किये जाने एवं निर्धारित समय के अन्दर GSTR-7 रिटर्न दाखिल कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 कटौती सम्बन्धी धारा 51 के प्रावधान निम्नवत है–

"51. Tax deduction at source -

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Government may mandate,-

(a) a department or establishment of the Central Government or State Government; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies; or

(d) such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, (hereafter in this section referred to as "the deductor"), to deduct tax at the rate of one per cent. from the payment made or credited to the supplier (hereafter in this section referred to as "the deductee") of taxable goods or services or both, where the total value of such supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees: "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी संविदा के अन्तर्गत किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्था तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी व्यक्ति द्वारा रू0 2.50 लाख से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त किये जाने की दशा में ऐसे विभाग, निकाय, संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कुल 2 प्रतिशत (1% CGST+1%SGST) की दर से टी0डी0एस0 कटौती किया जाना अनिवार्य है। राज्य कर की अधिसूचना संख्या–2030 दिनांक 22.10.2018 एवं इसी के समतुल्य केन्द्रीय कर की अधिसूचना संख्या–

50/2018 dated 13.09.2018 के द्वारा टी0डी0एस0 सम्बन्धी प्राविधान दिनांक 01.10.2018 की तिथि से प्रभावी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ***2(69)*** के अन्तर्गत स्थानीय निकाय को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है–

2(69). "local authority" *means,-*

(a) *a "Panchayat" as defined in clause (d) of article 243 of the Constitution;*

(b) a "Municipality" as defined in clause (e) of article 243P of the Constitution;

(c) a Municipal Committee, a Zilla Parishad, a District Board, and any other authority legally entitled to, or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or local fund;

(d) a Cantonment Board as defined in section 3 of the Cantonments Act, 2006 (Act No. 41 of 2006);

(e) a Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to the Constitution;

(f) a Development Board constituted under article 371 of the Constitution; or

(g) a Regional Council constituted under article 371A of the Constitution;

स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं अतः इन पंचायतों पर भी टी0डी0एस0 सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त की गयी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति यदि टी0डी0एस0 कटौती हेतु निर्धारित मूल्य सीमा के अन्तर्गत आती हैं तो इन पर इन संस्थाओं द्वारा टी0डी0एस0 कटौती किया जाना अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थानीय निकायों को आपूर्ति की जाने वाली Works contract की सेवा में माल का मूल्य कुल सेवा के मूल्य का 25 प्रतिशत से कम होने पर ही इस प्रकार की सेवा करमुक्त है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 24 (vi) के अन्तर्गत टी0डी0एस0 कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पंजीयन लिया जाना अनिवार्य किया गया है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि टी0डी0एस0 की कटौती करने वाले कतिपय उत्तरदायी विभागों, संस्थाओं, निकायों द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अब तक पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है एवं माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति का भुगतान करते समय टी0डी0एस0 की कटौती करते हुए नियमानुसार FORM GSTR-7 दाखिल नही किया जा रहा है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर MGNREGA तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा प्राप्त की

गयी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए किये गये भुगतान का विवरण प्राप्त करेंगे तथा इन भुगतानों के टी0डी0एस0 कटौती योग्य होने की दशा में टी0डी0एस0 कटौती कराने के साथ–साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि जैसे विभागों से भी माल अथवा सेवा अथवा दोनो की आपूर्ति के विरूद्ध किये जाने वाले भुगतान पर टी0डी0एस0 की कटौती के विषय में सूचना एकत्र करते हुए इन विभागों का पंजीयन Tax Deductor के रूप में कराया जाना सुनिश्चित करने के साथ ही टी0डी0एस0 कटौती के लिए पंजीकृत विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत GSTR-7 रिटर्न का दाखिला कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये। यदि टी0डी0एस0 कटौती करने वाले दायी किसी व्यक्ति द्वारा नियमानुसार पंजीयन प्राप्त करते हुए रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा है तब उसके विरूद्ध प्रान्तीय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

15/7/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0/ / दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि जनपद के अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों को नियमानुसार जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन लिये जाने तथा टी0डी0एस0 कटौती करते हुए रिटर्न दाखिल करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।